

प्रेस-विज्ञप्ति  
जनपद कानपुर देहात।

**दिनांक:- 05.10.2021**

**थाना सट्टी**

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 92/21 धारा 379/328 में अभियुक्त इन्द्रकुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**थाना रूरा**

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 04/09 धारा 147/447/427/352/504/506 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त अवधेशनाथ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(2)

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 31/20 धारा 307/504/506 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त रामकिशन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**थाना शिवली**

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 461/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त धर्मराज को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(2)

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 462/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त रजतचौबे को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**थाना डेरापुर**

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 222/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त नफीश करिया को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(2)

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग धारा 151/107/116 में वारण्टी अभियुक्त रविन्द्र को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**थाना अकबरपुर**

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 200/17 धारा 138 बी विधुत अधि0 में वारण्टी अभियुक्त राजकुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**थाना मंगलपुर**

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 451/21 धारा 302/201 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण भगवानदीन आदि 03 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**थाना सिकन्दरा**

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 200/21 धारा 363/366/120बी भादवि0 में वांछित अभियुक्त अमन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**थाना रसूलाबाद**

दिनांक 04.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 296/15 धारा 147/148/149/336/323/452/308 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्तगण फूलचन्द्र आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।